रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062020-219962 CG-DL-E-16062020-219962

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1687]

No. 1687]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16 , 2020/ज्येष्ठ 26, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2020/JYAISHTHA 26, 1942

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

का.आ. 1890(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के बाद, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पिरिडीन (क्वालिटी नियंत्रण)आदेश, 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन परभारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- इस आदेश में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

2593 GI/2020 (1)

4. **उल्लंघन के लिए शास्ति** - कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

तालिका

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
पिरिडीन	आईएस 8058: 2018	पिरिडीन–विनिर्देश

[फा. सं. 13012/17/2019-रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 16th June, 2020

- **S.O. 1890(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:—
- 1. Short title, commencement and application. -(1) This order may be called the Pyridine (Quality Control) Order, 2020.
- (2) It shall come into force on the One hundred and eighty-first day from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.
- **2.** Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the aforesaid Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority.- The bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in this order.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Pyridine	IS 8058: 2018	Pyridine - Specification

[F. No. 13012/17/2019-Chem. II] SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

का.आ. 1891(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के बाद, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** (1)इस आदेश का संक्षिप्त नाम गेम्मा पीकोलीन (क्वालिटी नियंत्रण)आदेश, 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग उक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन परभारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी इस आदेश में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए शास्ति** कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

तालिका

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
गेम्मा पीकोलीन	आईएस 16113: 2013, पुन: अभिपुष्ट 2018	गेम्मा पीकोलीन – विनिर्देश

[फा. सं. 13012/18/2019-रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

ORDER

- **S.O. 1891(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-
- 1. Short title, commencement and application. -(1) This order may be called the Gamma Picoline (Quality Control) Order, 2020.
 - (2) It shall come into force on the One hundred and eighty- first day from the date of its publication in the Official Gazette.
 - (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.

- **2.** Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the aforesaid Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority. The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in this order.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or articles	ods or articles Indian Standard Title of Indian Standard	
(1)	(2)	(3)
Gamma Picoline	IS 16113: 2013, Reaffirmed 2018	Gamma Picoline - Specification

[F. No. 13012/18/2019-Chem. II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

का.आ. 1892(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के बाद, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम बीटा पीकोलीन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे औरउन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- इस आदेश में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए शास्ति** कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

तालिका

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
बीटा पीकोलीन	आईएस 16112: 2013	बीटा पीकोलीन – विनिर्देश

[फा. सं. 13012/19/2019-रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th June, 2020

- **S.O.** 1892(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** −(1) This Order may be called the Beta Picoline (Quality Control) Order, 2020.
 - (2) It shall come into force on the One hundred and eighty-first day from the date of its publication in the Official Gazette.
 - (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.
- 2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in the column (1) of the aforesaid Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3. Certification and enforcement authority.-** The bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in this order.
- 4. **Penalty for contravention.** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

ſ	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
Ī	(1)	(2)	(3)
Ī	Beta Picoline	IS 16112: 2013	Beta Picoline - Specification

[F. No. 13012/19/2019-Chem. II] SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

का.आ. 1893(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के बाद, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना (1)इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोर्फोलीन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग उक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन परभारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।

- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी इस आदेश में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए शास्ति** कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
मोर्फोलीन	आईएस 12084: 2018	मोर्फोलीन – विनिर्देश

[फा. सं. 13012/20/2019-रसा. II] समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th June, 2020

- **S.O. 1893(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** (1) This order may be called the Morpholine (Quality Control) Order, 2020.
- (2) It shall come into force on the One hundred and eighty-first day from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.
- 2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the aforesaid Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority. The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in this order.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Morpholine	IS 12084: 2018	Morpholine - Specification

[F. No. 13012/20/2019-Chem. II] SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

का.आ. 1894(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के बाद, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना (1)इस आदेश का संक्षिप्त नाम सोडियम सल्फाइड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश
 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन परभारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- इस आदेश में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए शास्ति**-कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

तालिका

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
सोडियम सल्फाइड	आईएस 297: 2001, पुन: अभिपुष्ट 2017	सोडियम सल्फाइड, तकनीकी - विनिर्देश

[फा. सं. 13012/21/2019-रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

ORDER

- **S.O.** 1894(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** –(1) This order may be called the Sodium Sulphide (Quality Control) Order, 2020.
 - (2) It shall come into force on the One hundred and eighty-first day from the date of its publication in the Official Gazette.
 - (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.

- 2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in the column (1) of the aforesaid Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the bureau of Indian Standards(Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in this order.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard			
(1)	(2)		(3)		
Sodium Sulphide	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sodium Specificat	Sulphide, ion	Technical	-

[F. No. 13012/21/2019-Chem. II] SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

का.आ. 1895(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के बाद, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** (1)इस आदेश का संक्षिप्त नाम पोटेसियम कार्बोनेट (क्वालिटी नियंत्रण)आदेश, 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवेवें दिन पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन परभारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- इस आदेश में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए शास्ति**-कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
पोटेसियम कार्बोनेट	आईएस 7129: 1992 पुन: अभिपुष्ट 2015	पोटेसियम कार्बोनेट, एन्हीड्राउस – विनिर्देश

[फा. सं. 13012/23/2019-रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th June, 2020

- **S.O.** 1895(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** -(1) This order may be called the Potassium Carbonate (Quality Control) Order, 2020.
- (2) It shall come into force on the One hundred and eighty- first day from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.
- 2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the aforesaid Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in this order.
- **4. Penalty for contravention.** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Potassium Carbonate	IS 7129: 1992, Reaffirmed 2015	Potassium Carbonate, Anhydrous – Specification

[F. No. 13012/23/2019-Chem. II] SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

का.आ. 1896(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना इस आदेश का संक्षिप्त नाम एसीटोन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से इकानवेवें दिन पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट प होंगे औरसंगत भारतीय मानक के अनुरू उन परभारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- इस आदेश में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए शास्ति**-कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
एसीटोन	आईएस 170: 2004	एसीटोन - विनिर्देश
	पुन: अभिपुष्ट 2015	

[फा. सं. 13012/24/2019-रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

ORDER

- **S.O.** 1896(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau , hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** (1) This order may be called the Acetone (Quality Control) Order, 2020.
- (2) It shall come into force on the Ninety- first day from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.
- 2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the aforesaid Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in this order.
- **4. Penalty for contravention.** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Acetone	IS 170: 2004, Reaffirmed 2015	Acetone – Specification

[F. No. 13012/24/2019-Chem. II] SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

का.आ. 1897(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के बाद, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना (1)इस आदेश का संक्षिप्त नाम फोसफोरस ट्राइकोलराइड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन परभारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- इस आदेश में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए शास्ति**-कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

तालिका

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम				
(1)	(2)	(3)				
फोसफोरस ट्राइकोलराइड	आईएस 4581: 1978 पुन: अभिपुष्ट 2015	फोसफोरस ट्राइकोलराइड, प्यूर एंड एनालिटीकल रीजेंट के लिए विनिर्देश				

[फा. सं. 13012/25/2019-रसा. II] समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th June, 2020

- **S.O.** 1897(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** -(1) This order may be called the Phosphorous Tricholride (Quality Control) Order, 2020.
- (2) It shall come into force on the One hundred and eighty- first day from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.
- 2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the aforesaid Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in this order.
- **4. Penalty for Contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard		
(1)	(2)	(3)		
Phosphorous Tricholride	IS 4581: 1978 Reaffirmed 2015	Specification for Phosphorous Trichloride, Pure and Analytical Reagent		

[F. No. 13012/25/2019-Chem. II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुन, 2020

का.आ. 1898(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के बाद, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना (1)इस आदेश का संक्षिप्त नाम फोसफोरस पेंटाकोलराइड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवेवें दिन पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन परभारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।

- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- इस आदेश में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए शास्ति**-कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम			
(1)	(2)	(3)			
फोसफोरस पेंटाकोलराइड	आईएस 11744: 1986 पुन: अभिपुष्ट 2015	फोसफोरस पेंटाकोलराइड, तकनीकी के लिए विनिर्देश			

[फा. सं. 13012/26/2019-रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th June, 2020

- **S.O.** 1898(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-
- 1. Short title, commencement and application. -(1) This order may be called the Phosphorous Pentacholride (Quality Control) Order, 2020.
- (2) It shall come into force on the One hundred and eighty- first day from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.
- 2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the aforesaid Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in this order.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Phosphorous Pentacholride	IS 11744: 1986 Reaffirmed 2015	Specification for Phosphorous Pentacholride, Technical

[F. No. 13012/26/2019-Chem. II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

का.आ. 1899(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के बाद, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** (1)इस आदेश का संक्षिप्त नाम फोसफोरस ऑक्सीक्लोराइड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन परभारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- इस आदेश में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए शास्ति**-कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

तालिका

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम		
(1)	(2)	(3)		
फोसफोरस ऑक्सीक्लोराइड	आईएस 11657: 1986 पुन: अभिपुष्ट 2015	फोसफोरस ऑक्सीक्लोराइड, तकनीकी के लिए विनिर्देश		

[फा. सं. 13012/27/2019-रसा. II] समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

ORDER

- **S.O. 1899(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** –(1) This Order may be called the Phosphorous Oxycholride (Quality Control) Order, 2020.
- (2) It shall come into force on the One hundred and eighty-first day from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.

- **2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in column (1) of the aforesaid Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority. The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in this order.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
1		Specification for Phosphorous Oxychloride, Technical

[F. No. 13012/27/2019-Chem. II] SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

का.आ. 1900(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के बाद, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** (1)इस आदेश का संक्षिप्त नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे औरउन परभारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- इस आदेश में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए शास्ति**-कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

तालिका

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
हाइड्रोजन पेरोक्साइड	आईएस 2080: 1980, (पुन: अभिपुष्ट 2016)	स्टेबीलाइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए विनिर्देश

[फा. सं. 13012/28/2019-रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th June, 2020

- **S.O.** 1900(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-
- 1. Short title, commencement and application. -(1) This order may be called the Hydrogen Peroxide (Quality Control) Order, 2020.
- (2) It shall come into force on the One hundred and eighty-first day from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.
- 2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the aforesaid Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority. The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in this order.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard			
(1)	(2)	(3)			
Hydrogen Peroxide	IS 2080: 1980, (Reaffirmed 2016)	Specification for Stabilized Hydrogen Peroxide			

[F. No. 13012/28/2019-Chem. II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

का.आ. 1901(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के बाद, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना (1)इस आदेश का संक्षिप्त नाम परसिपिटेटेड बेरियम कार्बोनेट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. **मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग-** उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे औरउन परभारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।

- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी इस आदेश में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए शास्ति** कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
परसिपिटेटेड बेरियम कार्बोनेट	आईएस 3205: 1984, (2015)	परसिपिटेटेड बेरियम कार्बोनेट, टेक्नीकल के लिए विनिर्देश
	आईएस 12928: 1990, (पुन: अभिपुष्ट 2017)	सेरामिक और ग्लास उद्योग के लिए परसिपिटेटेड बेरियम कार्बोनेट – विनिर्देश

[फा. सं. 13012/29/2019-रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th June, 2020

- **S.O.** 1901(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** (1) This Order may be called the Precipitated Barium Carbonate (Quality Control) Order, 2020.
- (2) It shall come into force on the One hundred and eighty-first day from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.
- 2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the aforesaid Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in this order.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or artic	cles	Indian Standard		Title of Indian Standard				
(1)		(2)		(3)				
Precipitated Carbonate	Barium			Specification for Precipitated Barium Carbonate, Technical		Barium		
		IS 12928: 2017)	1990,	(Reaffirmed	Precipitated B Industry - Spec			nd Glass

[F. No. 13012/29/2019-Chem. II]

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

का.आ. 1902(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के बाद, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना (1)इस आदेश का संक्षिप्त नाम सोडियम फोर्मेलडीहाइड सल्फोक्सीलेट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. **मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग -** उक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन परभारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी इस आदेश में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए शास्ति** कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

तालिका

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम		
(1)	(2)	(3)		
सोडियम फोर्मेलडीहाइड सल्फोक्सीलेट	आईएस 4505: 2015	सोडियम फोर्मेलडीहाइड सल्फोक्सीलेट – विनिर्देश		

[फा. सं. 13012/30/2019-रसा. II] समीर कमार बिस्वास, संयक्त सचिव

ORDER

- **S.O.** 1902(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-
- 1. Short title, commencement and application. -(1) This Order may be called the Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (Quality Control) Order, 2020.
- (2) It shall come into force on the One hundred and eighty-first day from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.

- 2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the aforesaid Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards(Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority.- The bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in this order.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Sodium Formaldehyde Sulphoxylate	IS 4505: 2015	Sodium Formaldehyde Sulphoxylate - Specification

[F. No. 13012/30/2019-Chem. II] SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

का.आ. 1903(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के बाद, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** (1)इस आदेश का संक्षिप्त नाम सोडियम ट्राइपोलीफोसफेट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग उक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन परभारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी इस आदेश में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए शास्ति** कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

तालिका

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम		
(1)	(2)	(3)		
सोडियम ट्राइपोलीफोसफेट	आईएस 6100: 1984, अभिपुष्ट 2015	सोडियम ट्राइपोलीफोसफेट, एन्हीड्राउस, तकनीकी के लिए विनिर्देश		

[फा. सं. 13012/31/2019-रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th June, 2020

- **S.O.** 1903(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** -(1) This order may be called the Sodium Tripolyphosphate (Quality Control) Order, 2020.
- (2) It shall come into force on the One hundred and eighty-first day from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.
- 2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the aforesaid Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in this order.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard		Title of Indian Standard			
(1)	(2)		(3)			
Sodium Tripolyphosphate	IS 6100:		_			Tripolyphosphate,
	Reaffirmed 2015		Anhydrous, Technical			

[F. No. 13012/31/2019-Chem. II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.